

# कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, सर्वाई माधोपुर

क्रमांक:- ७७९५

दिनांक:- १७/१२/२०२५

## संशोधित विज्ञप्ति

इस कार्यालय के राजकाज रेफरेंस नं १९३०२३५३ दिनांक १०.१२.२०२५ के द्वारा जारी विज्ञप्ति में परियोजना बामनवास द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में त्रुटि होने के फलस्वरूप बाल विकास परियोजना अधिकारी बामनवास द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक १७५५ दिनांक १५.१२.२०२५ एवं १७६६ दिनांक १६.१२.२०२५ के आधार पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

क्रमांक	परियोजना का नाम	पद	संशोधित विवरण
१	बामनवास	सहायिका	सुकार तृतीय(सामान्य) भंवरकी (अनुसूचित जनजाति)

अतः सहायिका सुकार तृतीय (अनुसूचित जाति) के स्थान पर सुकार तृतीय (सामान्य) तथा भंवरकी (अनुसूचित जाति) के स्थान पर भंवरकी (अनुसूचित जनजाति) पढ़ा जावें।

(प्रियंका शर्मा)

उप निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं

सर्वाई माधोपुर

क्रमांक:- ७७९५-८१५

दिनांक:- १७/१२/२०२५

प्रतिलिपि:- निम्नानुकूल को सूचनार्थ एवं आवश्यककार्यवाही हेतु।

- १ श्रीमान निदेशक महोदय, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज०, जयपुर।
- २ श्रीमान कलेक्टर महोदय सर्वाई माधोपुर।
- ३ श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सर्वाई माधोपुर
- ४ श्रीमान उपनिदेशक(ए०सी०पी) समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर को विभागीय बेवसाइट हेतु
- ५ श्रीमान कोषाधिकारी कोष कार्यालय सर्वाई माधोपुर
- ६ समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी सर्वाई माधोपुर
- ७ नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु कार्यालय कलेक्टर/जिला परिषद/पंचायत समिति/नगर परिषद
- ८ संबंधित ग्राम पंचायत एवं वार्ड पंच/पार्लाद को प्रचार प्रसार हेतु
- ९ लेखा/बिल शाखा
- १० रक्षित पत्रावली

उप निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं

सर्वाई माधोपुर